रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-01012025-259835
CG-WB-E-01012025-259835

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5235] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2024/पौष 10, 1946
No. 5235] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2024/PAUSHA 10, 1946

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 18 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5655(अ).— यह 21.10.2024 को हुई सुनवाई और बाद में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से अग्रेषित कार्यवाही के रिकॉर्ड के अनुसार है।

उपर्युक्त कार्रवाई के रिकॉर्ड के अनुसार, जूट मिल कंपनी को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष शिकायत में शामिल तकनीकी मुद्दों को स्पष्ट करते हुए कोई भी लिखित तर्क दायर करने की स्वतंत्रता दे दी गयी । तत्पश्चात्, मिल कंपनी ने दिनांक 21.11.2024 को शून्य सं. के तहत लिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं जो इस प्रकार हैं –

"1. दिनांक 04.09.2024 को संयुक्त निरीक्षण (जेआई) किया गया था। मूल रूप से दिनांक 21.04.2024 को निरीक्षण की गई विषयाधीन गांठें, और शुष्क मौसम के लगभग 5 महीने के अंतराल के बाद, बैग 8% (21.04.2024 को) से 8.21% (04.09.2024 को) तक नमी कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

2. हमने संयुक्त निरीक्षण के **दौरान उपयोग में लाए गए नमी मीटर की संभावित गलती को इंगित किया है जो नमी की मात्रा को 8% से नीचे रिकॉर्ड नहीं कर सकता है (संयुक्त** ***निरीक्षण के दौरान*** **73% बैगों में 8% एमआर पाया गया*)।***

3. **मूल शिकायत सं. PBPGK170424HMS31033/COMP01, दिनांक 22.07.2024 जिसमें कहा गया है, "बैग आईएस विनिर्देशों के अनुसार नहीं है। बैग की लंबाई, चौड़ाई, सिरे, उँचाई, वजन, सिलाई, बैग खराब, प्रमुख और मामूली दोष आदि विनिर्देश के अनुसार नहीं पाए गए हैं। हालांकि, दिनांक 04.09.2024 के संयुक्त निरीक्षण (जेआई) रिपोर्ट में बैग के सही द्रव्यमान को छोड़कर ऐसी कोई खराबी नहीं बताई गई थी, जिसका संयुक्त निरीक्षण के दौरान उपयोग किए गए नमी मीटर के रेंज प्रतिबंधों के कारण उचित रूप से हिसाब नहीं दिया गया था।**

उपरोक्त के संबंध में, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि मामले पर उचित परिप्रेक्ष्य में पुनर्विचार करें और हमें आरोपों से मुक्त करें क्योंकि **हम किसी भी अनुचित कार्य में शामिल नहीं हैं*।"***

पूर्वोक्त मिल कंपनी का प्रस्तुतिकरण रिकार्ड में रखा गया है। विभाग से कहा गया था कि वह मामले में उचित निर्णय लेने के लिए फाइल मेरे समक्ष रखे। नमी का मुद्दा एक वैज्ञानिक मामला है जो संयुक्त निरीक्षण में की गई है जिसमें मिल के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

अतः यह निर्देश दिया जाता है कि 48 अस्वीकृत गांठों को इस आदेश के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर मिल द्वारा अपने जोखिम और लागत पर प्रतिस्थापित किया जाना है और परेषिती द्वारा गाठों की स्वीकृति के दस्तावेजी प्रमाण सहित विभाग को तुरंत एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा मिल कंपनी से संबंधित भुगतान के लिए लंबित बिलों से अस्वीकृत गांठों की समान लागत की आवश्यक वसूली होगी जो कि विभाग द्वारा शुरू किया जाएगा।

इस आदेश को सभी पक्षों को तत्काल परिचालित किया जाए।

[फा. सं. जूट(टी)-6/1/178/जीएन(9)/2019-I(ई)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

ORDER

Kolkata, the 18th December, 2024

S.O. 5655(E).— This is pursuant to the hearing held on 21.10.2024 and subsequently Record of Proceedings forwarded vide this office letter dated 14.11.2024.

Vide aforementioned Record of Proceedings, the jute mill coy. was given liberty to file any written argument clarifying the technical issues involved in the complaint before this adjudicating authority. Subsequently, the mill coy. vide letter under Ref. No. Nil dated 21.11.2024 has submitted their written arguments, which are as follows –

"1. The Joint Inspection (JI) was carried out on 04.09.2024. The subject bales which were originally inspected on 21.04.2024, and after a gap of nearly 5 months of dry season, how can bags regain moisture from 8% (on 21.04.2024) to 8.21% (on 04.09.2024).

2. We have pointed out the potential fault of moisture meter used in the JI which cannot record moisture content below 8% (73% of bags found with 8% MR during JI).

3. Original Complaint No. PBPGK170424HMS31033/COMP01, dated 22.07.2024 which state, "Bag is not as per I.S. specifications. Bag's length, width, ends, picks, weight, stitch, bag defective, major and minor defects, etc., are

not as per specification."However, no such defects were reported in the Joint Inspection (J.I) report dated04.09.2024 except corrected mass of the bag which was not properly accounted for due to range restrictions of moisture meter used during JI.

In light of the above, we would request you to re-consider the matter in proper perspective and exonerate us from the allegations as we did not indulge into any unfair practice."

The aforesaid submission of mill coy. has been kept on record. The department was asked to place the file before me for taking appropriate decision in the matter. The issue of moisture is a scientific observation which has been made in the Joint Inspection, where the mill representative was also present.

It is therefore directed that 48 rejected bales have to be replaced by the mill at their own risk and cost within 30 days from the date of issue of this order and submit a compliance report to the department forthwith including documentary proof of acceptance of the goods by the consignee, failing which necessary recovery of equivalent cost of rejected bales from the pending bills for payment pertaining to the mill coy. shall be initiated by the department.

Let this Order be circulated to all the parties' forthwith.

[F. No. Jute(T)-6/1/178/GN(9)/2019-I(E)]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA